सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल संख्या: 26-11/50/2023-एनए-नौमनि

दिनांक: 05.12.2023

नौमनि आदेश संख्या: 17/2023

विषय: भार रेखाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन 1966 में संशोधन और इसकी प्रयोजनीयता – संबंधी

जबकि, भारत सरकार ने भार रेखाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन 1966 का अनुसमर्थन किया है और कन्वेन्शन 21 जुलाई 1968 से दिनांक 19 अप्रैल 1968 को दी गई स्वीकृति के माध्यम से प्रवृत्त है। कन्वेन्शन के अनुच्छेद 1 में सरकार की यह अनिवार्य बाध्यकारिता है कि इस कन्वेन्शन को प्रवृत्त कए जाने हेतु हर आवश्यक उपाय करे।

जबकि, यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में कन्वेन्शन को शामिल किया गया है और इसे "भार रेखा कन्वेन्शन" के रूप में इसे धारा 3 (20) में परिभाषित किया गया है अर्थात दिनांक 5 अप्रैल, 1966 को लंदन में, समय-समय पर यथा संशोधित भार रेखाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन को हस्ताक्षरित किया गया है।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 310 से 330 में, भारतीय समुद्र में चल रहे सभी भारतीय और विदेशी जलयानों पर भार रेखा कन्वेन्शन के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन हेतु विधीय प्रावधान और शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 311 में भार रेखाओं का निर्धारण करने और इन्हें अंकित किए जाने तथा जिन शर्तों पर भार रेखाओं का निर्धारण किया जाना है उन्हें विहित किए जाने के प्रयोजनार्थ पोतों के सर्वेक्षण का विनियमन करने वाले नियमों को बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वाणि ज्य पोत परिवहन अधि नियम की धारा 436 (1) औ (2) में प्रवर्तन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।

जबकि, सरकार ने कन्वेन्शन को प्रवृत्त करने के लिए एक उपाय के रूप में वाणिज्य पोत परिवहन (भार रेखा) नियम, 1979 जारी किए हैं। 1982, 1989 और 2001 के दौरान इन नियमों में विभिन्न संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने कई भार रेखाओं को जारी किए जाने पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन सूचना 21/2013 जारी की है।

...2

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

जबकि, सरकार ने दिनांक 07 नवंबर 1997 को एक अधिसूचना के माध्यम से भार रेखा का निर्धारण करने वाला प्राधिकरण अधिसूचित किया है। दिनांक 26 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना के माध्यम से मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को अधिसूचित किया गया और यथा निर्दिष्ट रूप से, हर आरओ साथ एक समझौता किया गया कि वे इस कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करेंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईएमओ ने समय-समय पर कन्वेन्शन में विभि न्न संशोधन किए हैं, जो कि इस आदेश के अनुलग्नक-1 पर लगे हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में यथा परिभाषि त रूप से, कन्वेन्शन में किए गए ये संशोधन पहले से प्रवृत्त हैं और भारतीय जलयानों पर लागू हैं।

इसलिए हितधारियों से अपेक्षा है कि वे भार रेखाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन को पूरी तरह से प्रवृत्त करने के लिए प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

(श्याम जगन्नाथन)
नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारी

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)